208

मध्यप्रदेश विधान सभा

नवम्बर – दिसम्बर, 1995 सत्र

दैनिक कार्य सूची

मंगलवार, दिनांक 12 दिसम्बर, 1995 (अग्रहायण 21, 1917)

समय 10.30 बजे दिन

1. निधन उल्लेख

श्री मोहन सिंह ठाकुर, भूतपूर्व सदस्य विधान सभा के निधन का उल्लेख.

2. प्रश्नोत्तर

पृथक्तः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

3. पत्रों का पटल पर रखा जाना

श्री प्रेम नारायण ठाकुर, राज्यमंत्री परिवहन, मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम, 1991 (क्रमांक 25 सन् 1991) की धारा 21 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार परिवहन विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-22-63/95/आठ, दिनांक 28-9-95 पटल पर रखेंगे.

4. नियम 138 (1) के अधीन ध्यानाकर्षण

(1) श्री नन्द कुमार पटेल, सदस्य, रायगढ़ जिले के जिंदल स्ट्रिप्स कारखाने के पानी से फसलो की क्षति होने की ओर उप मुख्यमंत्री (कृषि) का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) सर्वश्री छत्तराम देवांगन, भूपेन्द्र सिंह, प्रेमप्रकाश पाण्डेय, सदस्य, रायपुर के पण्डरी क्षेत्र निवासी एक व्यक्ति की पुलिस पिटाई से हुई मृत्यु की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

5. याचिकाओं की प्रस्तुति

डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य, भिण्ड जिले के –

(क) अजनार माइनर पर झाल एवं सफाई कराये जाने ;
(ख) ग्राम नरौल में पुलिस चौकी स्थापित कराये जाने ;
(ग) ग्राम रहावली के पास नहर की बम्बी का झाल कराकर चालू कराये जाने;
(घ) ग्राम अरूसी में पुलिस चौकी स्थापित कराये जाने ;
(ड.) कस्बा लहार से भिण्ड, ग्वालियर, झांसी एवं दतिया की ओर मध्यप्रदेश राज्य परिवहन निगम की बसें चलाये जाने ;
(च) कस्बा लहार में लघु उद्योग केन्द्र स्थापित कराये जाने ;
(च) कस्बा लहार में लघु उद्योग केन्द्र स्थापित कराये जाने ;
(छ) ग्राम अजनार में पशु औषधालय खोले जाने ; तथा
(ज) ग्राम रमपुरा में पशु औषधालय खोले जाने,

के संबंध में याचिकायें प्रस्तुत करेंगे.

6. नियम 139 के अधीन अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा

प्रदेश में मलेरिया एवं अन्य संक्रामक रोगों के प्रकोप तथा चिकित्सा अव्यवस्था से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा (क्रमशः).

निर्धारित समय

7. प्रतिवेदनों पर चर्चा

1 घन्टा (1) शहरी क्षेत्र में भूमि अन्तरणों की जांच समिति मध्यप्रदेश का :-

(क) प्रतिवेदन क्रमांक न.सु.न्या.1 नगर सुधार न्यास, नीमच ;
(ख) प्रतिवेदन क्रमांक-1 नजूल जबलपुर ;
(ग) प्रतिवेदन न.सु.न्या-2 नगर सुधार न्यास, मंदसौर ; तथा
(घ) प्रतिवेदन क्रमांक वि.प्रा.-1 जबलपुर विकास प्राधिकरण – पर चर्चा.

1 घन्टा (2) मध्यप्रदेश अल्प संख्यक आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1994-95 पर चर्चा.

भोपाल :
दिनांक : 11 दिसम्बर, 1995

अशोक चतुर्वेदी
सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा